न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 107 सन् 2019

अनवान :–

1. धन्नाराम पुत्र हरजीराम जाति मेधवाल निवासी जसाना तहसील नोहर।

बनाम

1. भजनाराम पुत्र हरजीराम जाति मेधवाल निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. रामवतार 3. दोलतराम पुत्र मनसुख जाति मेधवाल निवासी जसाना तहसील नोहर
4. सरस्वती पत्नी स्व मनसुख जाति मेधवाल निवासी जसाना तहसील नोहर
5. विधादेवी पुत्री स्व मनुसख जाति मेधवाल निवासी जसाना तहसील नोहर
6. राजकोरी 7 बालादेवी पुत्रियान हरजीराम जाति मेधवाल निवासी जसाना तहसील नोहर
8. डूगरराम 9 झण्डुराम 10 भूपसिह 11 सुर्या पि0 स्व अनकोरी पुत्री हरजीराम जाति मेधवाल निवासी जसाना तहसील नोहर।
12. साजनराम 13 ओमप्रकाश 14 पृथ्वी 15 दुनीराम 16 मोमनराम 17 शान्ति 18 कमला पुत्र /पुत्रीयान रूकमा पुत्री हरजीराम जाति मेधवाल निवासी जसाना तहसील नोहर
19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
20. हनुमान 21 सुल्तान 22 कलावती पुत्र/पुत्रियान धन्नाराम जाति मेधवाल निवासी जसाना तहसील नोहर
23. ओमप्रकाश 24 भानीराम पुत्रगण भजनाराम जाति मेधवाल निवासी जसाना तहसील नोहर

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 21.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 79/69 की कुल 13.560हैक भूमि जिसमें पारी पत्नी हरजीराम , मनसुख धन्नाराम पि0 हरजी बहिब 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा चक 22 जेएसएन के खाता संख्या 63/54 की कुल 4.2260हैक जिसके वादी के दादा हरजी खातेदार काश्तकार थे। वादी के दादा हरजीराम एवं उसकी पत्नि पारी का देहान्त हो चुका है एवं हरजी का एक लडका मनसुख व दो लडकी अनकोरी व रूकमा भी फौत हो चुकी है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 19 जो कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की बुआ है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,10 ता 24 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके हक हिस्सा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 24 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में

वादी के दादा हरजीराम के नाम से दर्ज थी वादी के दादा हरजीराम एवं उसकी पत्नि पारी एवं हरजीराम का पुत्र मनसुख व दो लडकीया अनकोरी व रूकमा फोत हो चुकी है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 19 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,20 ता 24 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,20 ता 24 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि हरजीराम के नाम से दर्ज थी जो वादी का दादा है वादी के दादा हरजीराम व उसकी पत्नी पारी एवं हरजीराम के एक लडके मनसुख एवं दो लडकीया अनकोरी एवं रूकमा को देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 4 ता 19 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,20 ता 24 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ता 19 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,20 ता 24 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवीद संख्या 1 ता 3 , 20 ता 24 के हक हिस्सा की भूमि है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया गया।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 4 ता 19 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 79/69 की कुल 1.1560हैक भूमि में सयुक्त तौर से वादी अकेला 1/9 हिस्सा ,प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/9 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 बहिब 1/9 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा चक 22 जेएसएन के खाता संख्या 63/54 की कुल 4.2260हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 20 ता 21 बहिब के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा 20 जेएसएन के खाता संख्या 91/85 की कुल 4.1370हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 23 ,24 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)